

217

राजस्थान सरकार
नगरीय शासन

क्रमांक पा. 3(66)नविवि / 3/02

जयपुर, दिनांक : 23 MAR 2007

आदेश

नगरीय विकास विभाग के स्तर पर अधिसूचना क्रमांक पा. 10(1)नविवि / 3, दिनांक 01.01.02, द्वारा राजस्थान में आवासीय परियोजनाओं/टाउनशिप विकसित करने में निजी निवेश को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। इन आदेशों की निरन्तरता में निम्न निर्देश दिया जाते हैं :-

- विकासकर्ता द्वारा विकास शुल्क जमा कराने के स्थान पर 12.5 प्रतिशत अनुमोदत क्षेत्रफल के भूखण्ड स्थानीय निकाय/नगर विकास न्याय में रहने रखे जा सकेंगे जो विकास शुल्क जमा कराने अथवा विकास कार्य कराने पर मुक्त होंगे पिलाके पट्टे उल्ते पिलात शुल्क की राशि जमा कराने अथवा विकास कार्य करने पर जारी किये जायें। जितनी विकास शुल्क की राशि जमा नहीं होती/विकास कार्य शब्द होंगे उसी अनुपात में भूखण्ड रहने रखे जावे।
- अनापात्त प्रमाण पत्र भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ दिनांक 01.01.2002 के भाग - B के पैरा-1 के अनुसार जारी की जा सकेंगी। योजना के अनुमोदने 90-वीं भू-उपान्तरण की कार्यवाही एक साथ की जा सकेगी परन्तु :-
 - 90(बी) का आदेश भू-उपान्तरण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त जारी किया जावे।
 - योजना का गठनित के अनुमोदन तक प्रक्रियात्मक समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे तथा गठनित जारी कराने की कार्यवाही 90 (बी) के आदेश की प्रति प्राप्त व्यवहार के उपरान्त ही की जावे।
 - विभाग द्वारा प्राप्ति प्राप्ति क्रमांक 10(1)नविवि / 3/02, दिनांक 25.08.2006 दिया जाता है।
- नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक पा. 10(1)नविवि / 3/2002 दिनांक 01.01.2002 के भाग बी के अनुच्छेद 5 के साथ अकित नोट के अनुसार निवेशकर्ताओं द्वारा ग्रस्त सूचना के अनुसार क्रेताओं को पट्टे जारी किये जावे इस बारे में जारी विकास विभाग द्वारा जारी प्राप्ति क्रमांक पा. 10(1)नविवि / 3/02, दिनांक 27.12.2004 एवं क्रमांक भूमि पा. 7(ड) (7)सामाचर / स्थानिक 05 / 1355-544 दिनांक 28.01.2005 में वर्णित दिशा निर्देश क्रम संख्या-9 को विलोपित किया गया है।

203
प्रमुख शासन सचिव
22-3-01

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है :-

- निजी सचिव, गान्धी राज्य मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, भूख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, आसन सचिव, स्वायत्त आसन विभाग, राज0 जयपुर।
- आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- निजी सहायक, उप आनन सचिव (प्रथम) नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
- निदेशक, रथानीय मिनाय विभाग, राज0 जयपुर।
- सचिव नगर विकास न्याय, समररा।
- आयादा, टोडार।
- राष्ट्रीय प्रगती।

शारान उप सचिव